

कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

आदेश फलक

जिला:- वाद सं०:- 4669/R / 2020-21 सन्

विषय:- भूमि बन्दोवस्ती नियमितिकरण करने के संबंध में।

आदेश
का
क०सं०एवं
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश प
की गई
कार्रवाई
बारे में

20/08/2020

जमाबंदीदार श्री/ श्रीमती रघुनाथ सिंह पिता/पति सबल सिंह

मौजा गिरगा थाना-अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी-II पृष्ठ संख्या-

में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०- 218 / 64-65 के आधार पर दर्ज है।

जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के अग्रज के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी संदिग्ध है।

भूमि की विवरणी:-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>गिरगा</u>	<u>262</u>	<u>142</u>	<u>1506</u>	<u>0.48 (0.45)</u>

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांक:- 26/08/2020 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी
अड़की।

26/08/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल जाँच/ भौतिक सत्यापन/ दखल-कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक:-06/ भूमि नियमितिकरण- 89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के नियमितिकरण हेतु अनुशंसा किये है।


अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक सत्यापनोपरान्त/दखल-कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/श्रीमती सधुताम देवी.....
..... पिता/पति सधुताम देवी..... मौजा-गाँवा.....थाना-अड़की,
जिला-खूँटी के नाम से मौजा-गाँवा.....थाना नं० 262.....खाता सं० 142.....
प्लॉट सं० 1506..... रकबा-0.48.....लगान 0.80..... रूपये अलावे
शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितिकरण की स्वीकृति दी जाती हैं

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनुरूप ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।


अंचल अधिकारी,
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा-गाँवा.....
..... थाना नं० 262.....के पंजी- II भौलुम (VOL-.....) के पृष्ठ संख्या-.....पर
ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती हैं
अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।


अंचल अधिकारी,
अड़की।